न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 30/2024 – निगरानी

1. ग्राम पंचायत जालखेडा बनाम जरिये सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत जाल खेडा पंचायत समिति हुरडा जिला भीलवाडा

–निगराकार

1. फुरतीराम पिता हरदेव जाट निवासी जवानपुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा
2. श्रीमती छोटी देवी पत्नी गिददूमल जाट निवासी जवानपुरा तहसील हुरडा
3. ग्राम पंचायत टोकरवाड़, जरिए सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत टोकरवाड तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

– गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत टोकरवाड बापी पटटा संख्या 42 दिनांक 03.10.1990

उपस्थित –

1. श्री रामस्वरूप जोशी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री राजेश मेहता अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 से 02 की ओर से
3. श्री दिनेश तिवाड़ी अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 03 की ओर से

निर्णय

दिनांक 24.10.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्रा०प० जालखेड़ा की स्थापना से हल्का आबादी अमरपुरा (भड़ाणो का खेड़ा) राजस्व ग्राम जालखेड़ा, ग्रा०प जालखेड़ा के क्षेत्राधिकार में आता है। निगराकार ग्रा0पं के अस्तित्व में आने के पश्चात् पंचायत द्वारा अपने अधीनस्थ राजस्व ग्रामों में आबादी भूमि का निरीक्षण कर सीमाज्ञान कराया तो जानकारी में आया की जालखेड़ा पंचायत के अधीन ग्राम अमरपुरा (भड़ाणों का खेड़ा) की राजस्व ग्राम की आबादी भूमि आराजी संख्या 263 के कुछ हिस्से पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर कृषि प्रयोजनार्थ जमीन का उपयोग कर रहे है। उक्त सीमाज्ञान के दौरान मौके पर ग्राम भड़ानों का खेडा अमरपुरा में आबादी भूमि पर कब्जा करने पर आमादा लोगो से अपने स्वामित्व के

24/10

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

संबंध में दस्तावेजों की मांग की तो गैर निगराकार 02 के पति द्वारा एक पटटा संख्या 42 की फोटोप्रति एवं एक बख्शीसनामा की प्रति पेश की। उक्त पटटे में क्षैत्रफल 10000 वर्गफीट होना बताया गया। उक्त पटटे का सत्यापन ग्रा०प टोकरवाड से करवाने पर वहां से जानकारी बताई गयी, उक्त पट्टों के संबंध में किसी प्रकार का कोई रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार उक्त पट्टे की मिसल उपलब्ध करवाना संभव नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा तत्कालीन सरपंच/सचिव से मिलीभगत कर अवैध फर्जी आवासीय पट्टा बनाया गया है जबकि आज दिनांक को भी उक्त पट्टा स्थल की आराजी में आवासीय प्रयोजन नहीं है एवं अतिक्रमण करने पर आमादा है तथा मौके पर किसी प्रकार का मकान/बाउण्ड्रीवाल निर्माण इत्यादि नहीं है। उक्त पटटे का रजिस्टर्ड पंजीयन नही कराया गया। उक्त पटटे में अंकित पडौसान मौके पर पडौसान से अलग है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतराज अधिनियम के तहत 300 वर्गगज से अधिक का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार उक्त पट्टा का क्षेत्रफल अधिक होने से एवं फर्जी एवं बनावटी होने से निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 3 ने राजस्थान पंचायतराज अधिनियम की धारा 148 से 158 तक के प्रावधानों की पालना नहीं की है। गैर निगराकार संख्या 3 द्वारा राज० पंचायतराज अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक उद्घोषणा जारी नहीं की है। प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत टोकरवाड़ पं०स हुरड़ा जिला भीलवाडा के नाम से अंकित गैर निगराकार संख्या 1 से लगायत 3 द्वारा कूटरचित फर्जी पट्टा कम संख्या 42/90 को खारिज फरमाया जावे।

प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की एक तरफा बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी मेमों में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्रा०प० जालखेड़ा की स्थापना से हल्का आबादी अमरपुरा (भड़ाणो का खेड़ा) राजस्व ग्राम जालखेड़ा, ग्रा०प जालखेड़ा के क्षेत्राधिकार में आता है। निगराकार ग्रा0पं के अस्तित्व में आने के पश्चात् पंचायत द्वारा अपने अधीनस्थ राजस्व ग्रामों में आबादी भूमि का निरीक्षण कर सीमाज्ञान कराया तो जानकारी में आया की जालखेड़ा पंचायत के अधीन ग्राम अमरपुरा (भड़ाणों का खेड़ा) की राजस्व ग्राम की

24.10

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आबादी भूमि आराजी संख्या 263 के कुछ हिस्से पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर कृषि प्रयोजनार्थ जमीन का उपयोग कर रहे है। उक्त सीमाज्ञान के दौरान मौके पर ग्राम भड़ानों का खेडा अमरपुरा में आबादी भूमि पर कब्जा करने पर आमादा लोगो से अपने स्वामित्व के संबंध में दस्तावेजों की मांग की तो गैर निगराकार 02 के पति द्वारा एक पटटा संख्या 42 की फोटोप्रति एवं एक बख्शीसनामा की प्रति पेश की। उक्त पटटे में क्षैत्रफल 10000 वर्गफीट होना बताया गया। उक्त पटटे का सत्यापन ग्रा०प टोकरवाड से करवाने पर वहां से जानकारी बताई गयी, उक्त पट्टों के संबंध में किसी प्रकार का कोई रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। उक्त पटटे का रजिस्टर्ड पंजीयन नही कराया गया। उक्त पटटे में अंकित पडौसान मौके पर पडौसान से अलग है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतराज अधिनियम के तहत 300 वर्गगज से अधिक का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार उक्त पट्टा का क्षेत्रफल अधिक होने से एवं फर्जी एवं बनावटी होने से निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 3 ने राजस्थान पंचायतराज अधिनियम की धारा 148 से 158 तक के प्रावधानों की पालना नहीं की है। गैर निगराकार संख्या 3 द्वारा राज० पंचायतराज अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक उद्घोषणा जारी नहीं की है। प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत टोकरवाड़ पं०स हुरड़ा जिला भीलवाडा के नाम से अंकित गैर निगराकार संख्या 1 से लगायत 3 द्वारा कूटरचित फर्जी पट्टा कम संख्या 42/90 को खारिज फरमाया जावे।

गैर निगराकार के अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधि तौर पर पटटा जारी किया गया हैं। कोई त्रुटि नही हैं। वर्ष 1990 के पटटे के विरूद्व लगभग 34 वर्ष पश्चात् निगरानी पेश की हैं, जो मियाद बाहर हैं। देरीना से पेश करने का भी कोई ठोस कारण अंकित नही किया हैं। निगराकार की निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि निगराकार ने वर्ष 1990 में जारीशुदा पटटे को निरस्त कराने बाबत् लगभग 34 वर्ष बाद निगरानी बिना किसी ठोस कारण के प्रस्तुत की हैं, जो मियाद बाधित ठहरती हैं। कब्जे के संबंध में निगराकार द्वारा कोई प्रमाणिक दस्तावेजात पेश नही किये गये। निगराकार स्वयं ने

24.10
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अपनी निगरानी मेमों में अंकित किया कि "उक्त प्रश्नगत पटटे के संबंध में कोई पत्रावली ग्राम पंचायत में नही हैं एवं न ही कोई रिकार्ड संधारित किया गया हैं।" ऐसे में मिसल पत्रावली अथवा मिसल पत्रावली की सत्यापित प्रति के अभाव में पटटे की वैधता / अवैधता के संबंध में तथा प्रश्नगत पटटे का पंजीयन हो जाने से उक्त पटटे के संबंध में इस न्यायालय द्वारा कोई निर्णय किया जाना न्यायोचित नही ठहरता हैं।

उपरोक्त विवेचन निगराकार की निगरानी आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत जालखेडा तहसील हुरडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24.10.25

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा